न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विभाजन वाद–207 / 2013

शशिनाथ कुमार.....वादी

बनाम

शिवजी प्र0 महतो उर्फ सबुजी प्र0 महतो वगैरह.....प्रतिवादीगण

17.10.24 अभिलेख आज वादी की ओर से आदेश दिनांक–04.02.2022 को वापस लेने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–31.05.2024 तथा उसके तत्संबंधित प्रत्युत्तर दिनांक–05.07.2024 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

वादी ने अपने आवेदन में निवेदन किया है कि वर्तमान वाद में वादी और एकमात्र साक्षी वैद्यनाथ राय का आंशिक प्रतिपरीक्षण प्रतिवादी के द्वारा किया गया, लेकिन उक्त व्यक्ति की मृत्य हो जाने के कारण उनका साक्ष्य पूर्ण नहीं हो सका और दिनांक–04.02.2022 को वादी का साक्ष्य बन्द करते हुए प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया तथा प्रतिवादी का साक्ष्य पूर्ण एवं उनके निवेदन पर उनका साक्ष्य दिनांक–15.03.2024 को बन्द करते हुए अभिलेख प्रतिवादी बहस हेतु नियत किया गया। वादी द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, चूँकि समुचित उनको दस्तावेज प्राप्त नहीं हो सका था तथा दस्तावेज प्राप्त होते ही वे वर्तमान वाद में दाखिल किया गया है जिस दस्तावेज को प्रदर्श अंकित किया जाना वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु आवश्यक है। अतः निवेदन है कि आदेश दिनांक–04.02.2022 को वापस लेते हुए वादी को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं दस्तावेज प्रदर्श करने का पुनः अवसर देने की कृपा की जाए।

अपने प्रत्युत्तर में प्रतिवादी सं0–1 ने निवेदन किया है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है एवं खारिज किए जाने योग्य है। वर्तमान वाद में वाद–विषय गठन होने के पश्चात् ही वादी साक्ष्य के लिए रखा गया, परन्तु वादी लंबे समय तक साक्ष्य नहीं देने के कारण उनका साक्ष्य दिनांक–04.02.2024 को बन्द करते हुए प्रतिवादी साक्ष्य पर नियत किया गया तथा प्रतिवादी साक्ष्य दिनांक–15.03.2024 को बन्द करते हुए अभिलेख प्रतिवादी बहस हेतु नियत किया गया। वादी द्वारा दाखिल दस्तावेज रिविजनल सर्वे खतियान का पक्का नकल एवं मूल प्रति है जो वर्ष, 2008 से यानी वाद दायर करने के पूर्व से ही वादी के पास था, परन्तु वादी जानबूझकर न्यायालय में दाखिल नहीं किए और जब वाद बहस हेतु नियत किया गया तब वाद को लंबित रखने के आशय से आवेदन दाखिल किया गया है जो खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद में प्रतिवादी बहस हेतु नियत है तथा वादी को पर्याप्त अवसर दिए जाने एवं कई बार अंतिम समय दिए जाने के पश्चात् भी वादी ने अपना साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिसके कारण न्यायालय द्वारा दिनांक–04.02.2022 को वादी साक्ष्य बन्द करते हुए प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया एवं प्रतिवादी साक्ष्य पूर्ण करते हुए उनके निवेदन पर उनका साक्ष्य बन्द करते हुए अभिलेख बहस हेतु नियत किया गया। वादी का लंबे समय से साक्ष्य नहीं देना उनकी उपेक्षापूर्ण मंसा को दर्शाता है तथा उनके द्वारा अपने आवेदन में पेश किए गए साक्ष्य के संबंध में कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया है। अतः वादी को पुनः साक्ष्य देने हेतु समय दिया जाना वाद को लंबन का आशय रखता है तथा वाद के त्वरित निष्पादन में विलंब को दर्शाता है। **तद्नुसार वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन को खारिज करते हुए पुनः प्रतिवादी बहस हेतु नियत किया जाता है।** प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना बहस अविलंब पूर्ण करें।

वाद दिनांक– 05-12-2024 वास्ते प्रतिवादी बहस हेतु प्रस्तुत करें।

अखिलेश प्रताप सिंह,
अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी।